कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 19/04/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 18.04.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर हिस्ट्रीशीटर को एक अदद देशी नाजायज तमंचा .315 बोर , एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.04.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/ में मामूर होकर रात्रि गश्त करते हुए हाटा रेलवे क्रासिंग पर मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास की सूचना पर पुलिस की तत्परता से संदिग्ध व्यक्ति को हाटा रेलवे क्रासिंग के पास से एक अदद देशी नाजायज तमंचा .315 बोर , एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना नाम वसीम उर्फ बिट्टू पुत्र कमरूद्दीन अहमद निवासी ग्राम चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 37 वर्ष बताया कड़ाई से पूछा गया तो वसीम उर्फ बिट्टू उपरोक्त ने बताया कि वह अन्य अपराधों मे कई बार जेल जा चुका हूँ तथा अपनी जान माल की सुरक्षा के लिये असलहा अपने पास रखता हूँ। पकड़े गये अभियुक्त उपरोक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के संबमन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वसीम उर्फ बिट्टू पुत्र कमरूद्दीन अहमद निवासी ग्राम चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1364/2016 धारा 295/379/411/427 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 1561/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 78/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 651/2017 धारा 295/427 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 245/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

6. मु0अ0सं0 395/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 117/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

02. थाना जमानियाँ पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.03.2025 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह के वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

छोटू पासी पुत्र रमेश पासी निवासी बूढ़ाडीह थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

आपराधिक इतिहास-

फौ0मु0 2219/16 धारा 323/506 भा0द0वि0 (मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर)

03. थाना जमानियाँ पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.03.2025 को उ0नि0 भूपेशचन्द्र कुशवाहा मय हमराह के वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. सुरेन्द्र राम पुत्र बुद्धिराम निवासी खिजिरपुर अलीनगर थाना जमानियां जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

दण्डवाद 11/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट (मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजीपुर)

04. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा पिकअप वाहन से वध हेतु ले जाये जा रहे 03 अदद गोवंश (02 राशि गोवंश बैल व 01 राशि गोवंश बछडा) के साथ 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद मैजिक पिकअप वाहन सं0 UP54BT0576 बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.04.2025 को थाना कोतवाली मय टीम द्वारा घाट स्टेशन मोड के पास संदिग्ध वाहन/ व्यक्तियों की चेकिंग करते समय मुखबिरी सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की मैजिक पिकअप जो सुखदेवपुर मोड की तरफ से आ रही थी , जिसे चेक किया गया तो अभियुक्त संदीप चौरसिया पुत्र देवेन्द्र चौरसिया निवासी ग्राम बख्तावरगंज थाना दक्षिण टोला जिला मऊ उम्र 22 वर्ष अपनी मैजिक पिकअप वाहन में 02 राशि गोवंश बैल व 01 राशि बछडा लादकर जा रहा था। गोवंशों के मुंह व पैर रस्सी से बुरी तरह बँधे हुए थे तथा सभी बेतहासा हाँफ रहे थे। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त संदीप चौरसिया उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरणः - पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं जिस पिकअप को लेकर जा रहा था उसमें 03 गोवंश लदे हैं। आप लोगों को देखकर मैं पकडे जाने के डर से पिकअप से उतर कर भाग रहा था। मैं

यह बछडा मऊ से लादा हूँ। सलीम, जो मऊ का रहने वाला है, उसी ने यह बछडा लदवाया है तथा मुझसे कहा है कि इन बछडों को कटने के लिए बेचने ले चलना है और मैं तुम्हें जमानियां में मिलूँगा। उसी के कहने पर मैं अपने पिकअप मे यह जानवर लादकर ले जा रहा था कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

01. संदीप चौरसिया पुत्र देवेन्द्र चौरसिया निवासी ग्राम बख्तावरगंज थाना दक्षिण टोला जिला मऊ उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 258/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02. मु0अ0सं0 54/2021 धारा 323,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

बरामदगी का विवरण–

1. 03 अदद गोवंश (02 राशि गोवंश बैल व 01 राशि गोवंश बछडा,)
2. 01 अदद मैजिक पिकअप वाहन सं0 UP54BT0576

05. थाना गहमर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 77/25 धारा 103(1),3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तों को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.04.2025 को प्रभारी निरीक्षक गहमर मय हमराहियान द्वारा मु0अ0सं0 77/25 धारा 103(1),3(5) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी की जा रही थी कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्तगण सन्तोष खरवार व गौरव दूबे कहीं भागने की फिराक में बाराकला हाल्ट पर मौजूद हैं। मुखबिर खास की सूचना पर बाराकला हाल्ट पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर उन्हे पकड़ लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से नाम पता पूछते पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम सन्तोष खरवार पुत्र कुलवन्त खरवार निवासी गदाईपुर थाना गहमर जनपद गाजीपुर तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम गौरव दूबे पुत्र अभयकृष्ण दूबे निवासी चौसा बारा थाना मुफस्सिल जनपद बक्सर बिहार बताया। अभियुक्तगण की निशादेही पर आलाकत्ल को बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता –

1. सन्तोष खरवार पुत्र कुलवन्त खरवार निवासी गदाईपुर थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष
2. गौरव दूबे पुत्र अभयकृष्ण दूबे निवासी चौसा बारा थाना मुफस्सिल जनपद बक्सर बिहार उम्र 21 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 77/25 धारा 103(1),3(5) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर

बरामदगी-

01 अदद लोहे की रॉड

06. थाना सुहवल पुलिस व आबकारी टीम द्वारा स्कार्पियों वाहन से बिहार ले जायी जा रही 190.8 ली0 नाजायज अंग्रेजी शराब व 96 ली0 बीयर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपरधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के के तहत दिनांक 17.04.2025 को उ0नि0 सन्तराम यादव व उ0नि0 विरेन्द्र राय मय हमराह के तलाश वांछित अपराधी एवं वाहन चेकिंग में मामूर होकर आबकारी निरीक्षक श्री नन्द कुमार मिश्र मय हमराह के साथ कालूपुर पिकेट अवैध पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम हेतु संयुक्त चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्कार्पियो गाड़ी मे अवैध शराब लादकर इसी रास्ते गहमर होते हुए बिहार जाने की फिराक में है, सूचना के आधार पर पुलिस/आबकारी टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त वाहन को मेदनीपुर तिराहे के पास कब्जे में लेकर तलाशी लिया गया जिसमें अंग्रेजी शराब में 180 एम एल 8 PM की 20 पेटी (960 पीस) ,8 पेटी ट्यूबर्ग वीयर(192 पीस) एवं 2 पेटी रायल स्ट्रांग (24 पीस) अंग्रेज़ी शराब और बीयर बरामद किया गया। वाहन चला रहे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने पुष्प रंजन कुमार S/O कमल राय R/O वैकटपुर बास के टाल चौराहा थाना खुसरुपुर जिला पटना बिहार उम्र 27 वर्ष बताया। उक्त शराब व वाहन संख्या BR01 PJ 3274 के सम्बन्ध मे कोई कागज नही दिखा सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये की साहब हम लोग इस शराब को बिहार ले जाकर भिन्न भिन्न स्थानो पर बेचते हैं शराब पर पाबन्दी होने के कारण अच्छे दाम पर बेचते है। अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/25 धारा 60/72 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पुष्प रंजन कुमार S/O कमल राय R/O वैकटपुर बास के टाल चौराहा थाना खुसरुपुर जिला पटना बिहार उम्र 27 वर्ष

बरामदगी - अभियुक्त द्वारा वाहन सख्या BR01 PJ 3274 सफेद स्कार्पियो से 180 एम एल 8 PM की 20 पेटी (960 पीस) ,8 पेटी ट्यूबर्ग बीयर(192 पीस) एवं 2 पेटी रायल स्ट्रांग (24 पीस) अंग्रेज़ी शराब बरामद की गई।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर